

:: न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0 ::

(समक्ष:- वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

सत्र प्रकरण कमांक 389/2015

संस्थापन दिनांक 21.11.2015

मध्य प्रदेश शासन जरिये आरक्षी केन्द्र गोहद,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोगी

॥ वि रू द्ध ॥

- 1 मुकेश सिंह गुर्जर पुत्र पुलन्दर सिंह गुर्जर, उम्र 32 वर्ष।
- 2 पुलन्दर सिंह गुर्जर पुत्र मातवर सिंह, उम्र 66 वर्ष।
- 3 कौमेश गुर्जर पुत्र मुकेश सिंह गुर्जर, उम्र 31 वर्ष।
- 4 अनिल उर्फ फटका गुर्जर पुत्र सहसराम गुर्जर, उम्र 28 वर्ष। समस्त निवासी ग्राम चिमलन का पुरा, थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....आरोपीगण

अभियोगी द्वारा – श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक
अभियोजक।

अभियुक्तगण द्वारा – श्री विजय कुमार श्रीवास्तव अधि0।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा
अवस्थी के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0
770/2015 इ0फौ0 से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0
389/2015

॥ नि र्ण य ॥

(आज दिनांक 06-09-2017 को घोषित किया गया)

फरियादी निहालसिंह का मकान गोहद थाना क्षेत्र में अन्य सभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी को जान से मारने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में कार्य करते हुए बंदूक से गोली इस आशय से या यह जानते हुए तथा ऐसी परिस्थितियों में सह अभियुक्त मुकेश ने मारी कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आरोपीगण हत्या के दोषी होते एवं उक्त दिनांक समय स्थान पर आहत राघवेन्द्र के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित करने संबंध में भा.द.वि की धारा 307/34, 323 अंतर्गत आरोप है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि ग्राम बीलपुरा में फरियादी के पुत्र जोगेन्द्र सिंह की पत्नी रेखा सरपंच पद के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी। साथ ही डिमरन पंचायत के चिमलन पुरा के मुकेश गुर्जर की पत्नी कोमेश भी सरपंच पद पर खड़ी हुई थी। दिनांक 11.02.2015 को प्रचार करने के ऊपर से आरोपीगण ने विवाद किया था। तत्पश्चात् दिनांक 13.02.2015 को फरियादी अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था, उसी समय मुकेश, फटका, पुलन्दर गुर्जर और प्रत्याशी कोमेश प्रचार करने उसके गांव में आए और पर्चा बांट रहे थे और उसके भतीजे राघवेन्द्र को पर्चा दिया तो राघवेन्द्र ने पर्चा लेने से मना कर दिया। इसी बात पर उक्त लोग गाली गलोज कर लाठी डंडों से मारपीट करने लगे तथा आरोपी मुकेश व फटका गोली चलाने लगे और 7-8 फायर जान से मारने की नियत से किए। एक गोली फरियादी के दाहिने पैर के नीचे पिंडली में लगी जिससे वह गिर पड़ा। तत्पश्चात् सभी लोग फायर करते हुए भाग गए। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से दिनांक 13.02.2015 को पुलिस थाना गोहद में अप0क्र0 29/2015 अंतर्गत धारा 307, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं चबूतरे के पास से सड़के किनारे चले हुए 315 बोर के पांच कारतूस के खोके जप्त किए गए। जप्तशुदा वस्तुओं को राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उपार्पित किया गया, जो कि माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विधिवत निराकरण हेतु इस न्यायालय में भेजा गया।

03. आरोपी मुकेश के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा0दं0वि0 की धारा 307, 323 का अपराध एवं शेष आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 307/34, 323 का अपराध पाये जाने से आरोप विरचित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। तत्पश्चात् अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये 06 साक्षियों के कथन कराए गए।

04. आरोपीगण का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपने-आप को निर्दोष होना व्यक्त करते हुए झूठा फँसाया जाना अभिकथित किया है।

05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होता है:-

1.	क्या आरोपीगण ने दिनांक 13.02.15 को दोपहर दो बजे ग्राम बीलपुरा अंतर्गत थाना गोहद में फरियादी निहालसिंह को सामान्य आशय के अग्रसरण में इस आशय, ज्ञान एवं ऐसी परिस्थितियों में बंदूक से गोली मारी कि यदि आरोपीगण के उक्त कृत्य से निहालसिंह की मृत्यु हो जाती तो वह हत्या के दोषी होते?
2.	क्या उपरोक्त दिनांक समय व स्थान या उसके आसपास आरोपीगण ने राघवेन्द्र के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की?
3.	दण्डादेश यदि कोई हो तो?

॥ साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ॥

नोट:-

उक्त सभी विचारणीय प्रश्न आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं, तथ्यों एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06. प्रकरण में आरोपीगण पर आहत निहालसिंह को बंदूक से एवं आहत राघवेन्द्र को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आरोप है। घटना के संबंध में निहालसिंह अ0सा0 1 का अपने कथनों में कहना रहा है कि पंचायत के चुनाव में उसके लड़के देवेन्द्र की पत्नी रेखा सरपंच पद के चुनाव में खड़ी थी तथा दूसरी ओर मुकेश की पत्नी कोमेश भी सरपंच पद की प्रत्यासी थी। घटना के समय वह बीलपुरा गांव में प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के ऊपर से विवाद हो गया था, उसी दौरान गोली चली थी जो उसके दाएं पैर में लगी थी, फिर वह गिर पड़ा था।

07. घटना के संबंध में राघवेन्द्र अ0सा0 6 जिसको कि अभियोजन की ओर से चोट लगने का आधार लिया गया है का अपने कथनों में कहना रहा है कि चुनाव के दौरान प्रचार चल रहा था। उसका भाभी रेखा चुनाव में प्रत्यासी थी। घटना के समय वह अपने घर पर था, गोली की आवाज सुनाई दी तो वह गांव से चाचा के घर गया तो वहाँ देखा कि निहालसिंह के पाव में उपर गोली लगी थी और गोली चलाने वाले वहाँ से भाग गए थे। फिर गांव में पुलिस आ गई थी।

08. घटना के संबंध में साक्षी जोगेन्द्र सिंह अ0सा0 2 का अपने कथनों में कहना रहा है कि घटना के समय वह ग्वालियर में था, उसके सामने जप्ती की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी रेखा अ0सा0 3 का घटना के संबंध में अपने कथनों में कहना रहा है कि वह घटना के समय अपने घर पर थी। घटना में उसके ससुर निहाल एवं राघवेन्द्र को चोट आई थी। गोली किसने चलाई उसे नहीं मालूम।

09. अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में परीक्षित कराए गए आहत निहालसिंह अ0सा01, राघवेन्द्र अ0सा0 6, रेखा अ0सा0 3 ने निहालसिंह को गोली लगने संबंधी कथन अभिलिखित किए हैं, किन्तु साक्षी राघवेन्द्र अ0सा0 6 को आरोपीगण द्वारा उपहति कारित करने संबंधी तथ्य अभिकथित नहीं किए हैं। इन सभी साक्षियों को अभियोजन कथानक का सम्पूर्णतः समर्थन न करने पर पक्षविरोधी घोषित किया गया है और सूचकप्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक इन साक्षियों के समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी इन साक्षियों ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आहत

निहाल को गोली किस के द्वारा मारी गई।

10. साक्षी डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 जिसके द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है ने अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि की है कि उसने दिनांक 13.02.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में आहत राघवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र का चिकित्सीय परीक्षण किया था और चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एक खरौच एवं कंटूजन दाहिने हाथ में नीचे की ओर बीच में 3 गुणा 2 से.मी. की पाई थी जिसके एकसरे की सलाह दी थी तथा एक खरौच दाएं पैर के नीचे की ओर 4 गुणा 2 से.मी. का पाया था। दोनों ही चोटें कठोर एवं भौतरी वस्तु से परीक्षण से 6 घण्टे के अंदर आना प्रतीत होती है।

11. साक्षी डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसने दिनांक 13.02.2015 को ही निहालसिंह पुत्र शंकरसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया था। परीक्षण के दौरान एक फायर आर्म्स वून दाएं पैर के मध्य में पीछे की ओर था जिसका मांस गायब था, घाँव के चारों तरफ कालापन था। घाँव का आकार 0.8 गुणा 0.8 से.मी. था जिसमें से खून आ रहा था। आहत के कपड़ों में एक टीयर उपस्थित था जिसमें जलने के निशान एवं कालापन मौजूद था। आहत को एकसरे की सलाह दी गई थी और आहत को कारित चोट नजदीक से फायर आर्म्स द्वारा परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर आना प्रतीत होती थी।

12. प्रकरण की विवेचना साक्षी शिवकुमार शर्मा अ०सा० 5 के द्वारा की गई है। इस साक्षी के द्वारा साक्षियों के कथन लेख किए गए हैं एवं घटनास्थल का नक्शामौका बनाकर आवश्यक जप्ती की गई है।

13. आहत निहालसिंह को चोट किस के द्वारा पहुँचाई गई इस संबंध में उक्त साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि उसे नहीं पता गोली किसने चलाई थी, लेकिन गांव के लोग कह रहे थे कि गोली पुलन्दर, मुकेश और फटका तीन लोग थे और मौके से गोली चलाने वाले भाग गए थे, जबकि इस साक्षी के पुलिस कथन अनुसार आहत निहालसिंह को पुलन्दर, मुकेश एवं फटका के द्वारा गोली मारने वाली बात बताई गई है और अभियोजन का मामला भी यही है, किन्तु आहत निहालसिंह ने

अपने न्यायालयीन कथनों में इन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है कि उसे आरोपीगण ने गोली मारी थी। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित होने के पश्चात् सूचकप्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक इसके समक्ष रखे जाने के पश्चात् भी इस साक्षी ने इन तथ्यों का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने ही उसे गोली मारी थी।

14. घटना की चक्षुदर्शी साक्षी रेखा अ0सा0 3 एवं घटना में स्वयं आहत राघवेन्द्र सिंह अ0सा0 6 ने भी आरोपीगण के द्वारा आहत निहाल सिंह को गोली मारे जाने के तथ्य का समर्थन नहीं किया है। इन साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित भी किया गया है, किन्तु सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उनके समक्ष रखे जाने के उपरांत भी इन साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। साक्षी राघवेन्द्र अ0सा0 6 ने भी अपने कथनों में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है कि उसे आरोपीगण के द्वारा किसी प्रकार की उपहति कारित की गई।

15. प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य तो प्रमाणित होता है कि घटना के समय आहत निहालसिंह को बंदूक की गोली से उपहति पहुँचाई गई थी, किन्तु प्रकरण में इस आशय की साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि आहत निहालसिंह को बंदूक से गोली आरोपीगण द्वारा मारी गई थी।

16. अतः प्रकरण में अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है।

17. परिणामतः आरोपीगण मुकेश, पुलन्दर, कौमेश एवं अनिल उर्फ फटका को भा.द.वि. की धारा 307 सहपठित धारा 34, 323 भा.द.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपीगण जमानत पर है उसके जमानत मुचलके उन्मोचित किए जाते हैं।

19. आरोपीगण के निरोध के संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

20. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)